रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 1970/श्रावण 1, 1892

No. 135] NEW DELHI, THURSDAY JULY 23, 1970/SRAVANA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi the 23rd July 1970

G.S.R 1099—The following Order made by the President is published for *general information*:—

C.O. 88

THE CONSTITUTION (NAGALAND) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1970

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Nagaland, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

2 The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities specified in the Schedule to this Order, shall for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Nagaland so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. NAGA
2 KUKI
3. KACHARI
4 MIKIR
5. GARO.

V V GIRI,
President.

[No F 19(1)/67-LI.]
N D P. NAMBOODIRIPAD Jt Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1970

सा० का० नि० 1099—साधारण सूचना के लिये राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आदेश प्रकाशित किया जाता है ।

सी० ओ० 88

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, नागालैंड राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 कहा जा सकेगा ।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों को अथवा जन जातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमे के समूहों को नागालैंड राज्य के बारे मे वहा तक जहा तक उस राज्य मे निवासी उनके सदस्यों का सम्बन्ध है, संविधान के प्रयोजनो के लिए, अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

अनुसूची

1 नागा

2 कूकी

3 कछारी

4 मिकिर

5 गारो

वी० वी० गिरि,

राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 19(1) 67-विधायी प्रभाग-1]

एन० डी० पी० नम्बूदिरीपाद, उपसचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970